राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/25/ 4026 दिनांक 15/09/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ स्थापित करने, किराया/लीज राशि में वृद्धि, डेयरी बूथों की बेदखली के संबंध में लाईसेन्स जारी करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 9329–9347 दिनांक 22.10.21 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

1.उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.10.21 की बिंदु संख्या 4 में प्राथमिकता में आरक्षण हेतु उल्लेखित बिन्दुओ की बिंदु संख्या (iv) के नीचे नवीन बिंदु संख्या (v) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

" उभयलिंगियों के लिए शहर की जनसँख्या के अनुपात में(जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार)।"

राज्यपाल की आज्ञा से

(जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर)
निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/25/ 4027–4115 दिनांक 15/09/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत शासन विभाग ।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
06. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
08. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद/पालिकायें समस्त राज० ।
09. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर ।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवा करवाने हेतु।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज०जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी